राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

अमित कुमार पाण्डेय, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

अति आवश्यक
बाढ़

पत्रांक :SHSB/PM/526/2018/Part-II/..............

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
अररिया, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण

पटना, दिनांक.......................

विषयः वर्ष 2026 के संभावित बाढ़ तथा उससे उत्पन्न जलजनित रोग/महामारी की रोकथाम हेतु चिकित्सकीय प्रबंधन एवं आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंगः स्वास्थ्य विभागीय ज्ञापांक 11/आ.प्र.(विविध)-01/2024-311(11) दिनांक 04.05.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में बाढ़ एवं इससे उत्पन्न स्थिति के कारण जानमाल की क्षति के अलावे जलजनित रोग/महामारी फैलने की संभावना के मद्देनजर उसके रोकथाम हेतु पूर्व से ही प्रभावकारी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है, ताकि जल जनित बीमारियों एवं आकस्मिकता/आपात की स्थिति में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले मरीजों का समुचित उपचार ससमय किया जा सके। स्वास्थ्य विभागीय प्रासंगिक ज्ञापांक 11/आ.प्र.(विविध)-01/2024-311(11) दिनांक 04.05.2026 द्वारा **बाढ़ एवं उससे उत्पन्न जल जनित महामारी की रोक-थाम की तैयारियों हेतु अनुदेश** निर्गत किये गये है। इसके अतिरिक्त, बाढ़ प्रवण जिलों के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 02/प्रा०आ०(बाढ़)-09/2026/967/आ०प्रा० दिनांक 06.04.2026 द्वारा सभी जिलों को **बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (Standard operating Procedure)** भेजी गयी है।

2. उक्त के आलोक में जिलों में बाढ़ एवं इससे उत्पन्न जलजनित बीमारियों/अतिसार आदि की रोकथाम हेतु EDL में निहित आवश्यक औषधियों/MedicalDevices/Consumables की सांकेतिक सूची पत्र के साथ संलग्न है। औषधियों की सांकेतिक सूची की सिविल सर्जन स्वयं के स्तर से समीक्षा कर लेंगे एवं आवश्यकतानुरूप EDL में निहित औषधियों का ही स्वास्थ्य संस्थानों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्वास्थ्य विभागीय ज्ञापांक 11/आ.प्र.(विविध)-01/2024-311(11) दिनांक 04.05.2026 की कंडिका ('च'-दवाओं की उपलब्धता) के आलोक में उक्त औषधियों/Medical Devices/Consumables की खपत का नियमानुसार आकलन कर जिला औषधि भंडार में Buffer Stock भी संधारित किया जाय।

3. बाढ़ के मद्देनजर निम्नांकित मुख्य औषधियों/सामग्रियों का जिला औषधि भंडार एवं बाढ़ प्रभावित प्रत्येक प्रखण्ड में उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय-

क्र० सं०	औषधियों/सामग्रियों का नाम	जिला औषधि भंडार हेतु BufferStock	बाढ़ प्रभावित प्रखण्डों में उपलब्धता
1	ASVS (Snake Venom Antiserum)	1000 vials	50 vials
2	ARV (Anti Rabies Vaccine)	750 vials	30 vials
3	ORS Packet	50000	10000
4	Zinc Tablet	30000	3000
5	Halazone Tablet/ NaDCC (Sodium dichloroisocyanurate)	50000	10000
6	Bleaching Powder	500 bags	25 bags
7	Lime	1500 bags	75 bags

4. इसके अतिरिक्त, जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ से उत्पन्न जल जमाव से प्रभावित व्यक्तियों को आपातस्थिति में त्वरित प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वितरित किये जाने वाले फूड पैकेट (राहत पैकेट) के साथ निम्नांकित औषधियों को भी औषधि किट के रूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चत किया जाय।** ***यह ध्यानगत रखा जाय कि फूड पैकेट के साथ औषधि किट उन्हीं जिलों में वितरित की जाए, जहाँ बाढ़ की विभिषिका अधिक होने पर आपातस्थिति में इसकी आवश्यकता हो-***

क्र० सं०	औषधियों का नाम	किट में औषधियों की मात्रा
1	ORS	05 Sachets
2	Halazone Tablet/ NaDCC (Sodium dichloroisocyanurate) Tablet	30 Tablets
3	Domperidone Tablet 10 mg	01 Strip (10 Tablets)
4	Miconazole Nitrate Cream 2% w/w	01 Tube
5	Paracetamol Tablet 500mg	01 Strip (10 Tablets)

5. उपर्युक्त कंडिका-4 की तालिका में वर्णित **औषधियों के उपयोग करने की स्पष्ट विधि भी एक पर्ची पर अंकित कर उसी औषधि किट में डाल दिया जाय, ताकि उपयोगकर्त्ता व्यक्ति/परिवार को उक्त औषधियों का उपयोग करने में कोई कठिनाई अथवा संशय की स्थिति उत्पन्न नहीं होने पाए।** उक्त पर होने वाले व्यय का वहन स्वास्थ्य विभागीय दवा आपूर्ति मद/NHM की निधि से किया जाएगा।

6. उपरांकित तालिकाओं में वर्णित जिन आवश्यक औषधियों/सामग्रियों का दर अनुबंध BMSICL द्वारा नहीं किया गया है, उन औषधियों की आवश्यकता का आकलन सिविल सर्जन जिलास्तर पर चिकित्सकों का एक समिति गठित करते हुये कर लें और तदनुसार आवश्यकता आधारित क्रय स्वास्थ्य विभागीय ज्ञापांक 11/आ.प्र.(विविध)-01/2024-311(11) दिनांक 04.05.2026 की कंडिका ('च'-दवाओं की उपलब्धता) में निर्धारित व्यवस्था के आलोक में BMSICL से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए विहित प्रक्रियानुसार स्थानीय स्तर पर बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली एवं अद्यतन विभागीय क्रय अनुदेशों का पालन करते हुये किया जाय।

7. बाढ़ से संबंधित **अन्य औषधियाँ तथा Bleaching Powder एवं Halazone Tablet/ NaDCC (Sodium dichloroisocyanurate) Tablet की जिलान्तर्गत आवश्यकता का आकलन सिविल सर्जन के स्तर से करते हुये इसकी आपूर्ति हेतु BMSICL को पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अंदर अधियाचना भेजना सुनिश्चित किया जाय।** BMSICL द्वारा Bleaching Powder एवं NaDCC (Sodium dichloroisocyanurate) Tablet की आपूर्ति जिलों को किया जा रहा है।

8. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव सामग्रियों का भंडारण, वितरण एवं उनके उपयोग संबंधी आवश्यक प्रबंध तथा इसकी निगरानी एवं अनुश्रवण का कार्य निम्नवत् सम्पादित कराया जाय-

(क) सभी सिविल सर्जन अपने क्षेत्रान्तर्गत बाढ़ प्रभावित प्रखण्डों/पंचायतों के आधार पर Bleaching Powder एवं चूना (Lime) की खपत का आकलन करेंगे। उक्त सामग्रियों का वितरण संबंधित प्रखण्ड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से क्षेत्र की ए०एन०एम०/आशा/आशा फैसिलिटेटर/आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता/जीविका के सक्रिय सदस्य/विकास मित्र आदि का दल गठित कर उन्हें हस्तगत कराया जाय एवं इन सामग्रियों का प्राप्ति रसीद भी उनसे लिया जाय।

(ख) छिड़काव कार्य की निगरानी हेतु गठित समिति में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्षेत्र की ए०एन०एम०/आशा/आशा फैसिलिटेटर/आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता/जीविका के सक्रिय सदस्य/विकास मित्र के अतिरिक्त वर्तमान मुखिया/सभी वार्ड सदस्य शामिल होंगे, जिसमें ए०एन०एम०/आशा फैसिलिटेटर सदस्य सचिव होंगी एवं उनके द्वारा एतद संबंधी पंजी (लॉग-बुक) में तिथिवार सूचनाओं की प्रविष्टि

सुनिश्चित कराई जाएगी। संबंधित क्षेत्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि छिड़काव हेतु पंचायतवार पंजी (लॉग बुक) का संधारण निम्नवत् कराया जाएगा-

पंजी का बाँया पृष्ठ

क्र० सं०	ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा	प्राप्ति की तिथि	चूना (Lime) की मात्रा	प्राप्ति की तिथि	प्राप्तकर्त्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

पंजी का दाँया पृष्ठ

पंचायत / प्रखण्ड का नाम	छिड़काव स्थल (टोला/ मुहल्ला का नाम)	छिड़काव की तिथि	उपयोग में लाये गये ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा	उपयोग में लाये गये चूना (Lime)की मात्रा	जनप्रतिनिधि का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर	ए०एन०एम०/आशा/आशा फैसिलिटेटर/आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता/जीविका के सक्रिय सदस्य/ विकास मित्र का नाम एवं हस्ताक्षर

(ग) इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 240, दिनांक 02.09.2016 द्वारा निर्गमित परिपूर्ण (Exhaustive) दिशा-निदेश का अनुसरण किया जाय (छाया प्रति संलग्न)।

9. जिलान्तर्गत विभिन्न सरकारी अस्पतालों एवं जिला औषधि भंडार में भंडारित/उपलब्ध औषधियों/Medical Devices/Consumables का सक्षम पदाधिकारियों का एक दल (जिसमें जिला औषधि भंडार के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सहायक औषधि नियंत्रक, औषधि निरीक्षक एवं संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/उपाधीक्षक को अवश्य रखा जाय) गठित करते हुए भौतिक सत्यापन करा लिया जाय और यह सुनिश्चित किया जाए कि जिलान्तर्गत किसी भी संस्थान में **तिथिवाद एवं अवमानक स्तर की औषधियों का भंडारण नहीं हो। औषधियों/Medical Devices/Consumables के अवसान तिथि की गहन समीक्षा कर ली जाए तथा किसी भी परिस्थिति में इन औषधियों का उपयोग/वितरण नहीं किया जाय। उक्त निदेश के उल्लंघन अथवा अननुपालन की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित पदाधिकारी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे एवं उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।**

10. आवश्यक औषधियों/चिकित्सकीय सामग्रियों के भंडारण एवं वितरण तथा खपत से संबंधित सूचनाओं को प्रतिदिन DVDMS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अद्यतन (Update) किया जाय।

11. अतः अनुरोध है कि उक्त निदेशों का तत्परता एवं दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को ई-मेल: ssobihar@gmail.com, ao_shsb@yahoo.com एवं drugcell@gmail.com पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अमित कुमार पाण्डेय)

ज्ञापांक : SHSB/PM/526/2018/Part-II/..1185....पटना, दिनांकः 29/05/2026

प्रतिलिपिः

- सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को कृपया सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- जिला पदाधिकारी-अररिया, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- राज्य सर्वेक्षण पदाधिकारी/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (रोग नियंत्रण सहित)/श्री मनीष रंजन, सहायक निदेशक, औषधि-सह-नोडल पदाधिकारी DVDMS/स्टेट इपीडेमोलॉजिस्ट, IDSP, राज्य स्वा० समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।
- सभी संबंधित उप-औषधि नियंत्रक/सहायक औषधि नियंत्रक/औषधि निरीक्षक, औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी संबंधितजिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वा० समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- डा० संस्कृति सिन्हा बरियार, अपर निदेशक (आपदा), स्वास्थ्य विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित। निदेश है कि सभी जिलों के सिविल सर्जन से समन्वय कर उपरांकित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए एवं राज्य सर्वेक्षण पदाधिकारी से नियमित रूप से संपर्क कर विहित प्रपत्रों में जिलों से वांछित सूचनायें प्राप्त कर उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदित किया जाए।

कार्यपालक निदेशक

पत्रांक......240(HS)..........

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

आर० के० महाजन, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी -सह-
सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति

पटना, दिनांक....2:09:2016..........

विषय : बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में महामारी के रोकथाम के निमित्त ब्लीचिंग पावडर एवं चूना के मिश्रण का छिड़काव कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभाग एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के विभिन्न पत्रों के माध्यम से महामारी के रोकथाम हेतु ब्लीचिंग पावडर का निरंतर छिड़काव जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करने का निदेश दिया गया है। सामान्य क्रम में एक बोरा ब्लीचिंग पावडर में तीन बोरा चूना (लाइम) अर्थात 1:3 का अनुपात के मिश्रण का छिड़काव किया जाना समुचित है। विभिन्न जिलों के द्वारा ब्लीचिंग पावडर एवं चूना की अधिप्राप्ति कर विभिन्न माध्यमों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव किया जा रहा है।

2. उक्त के अनुपालन हेतु जिलों को भारी मात्रा में ब्लीचिंग पावडर एवं चूना (लाइम) का क्रय कई चरणों में किये जाने की आवश्यकता होगी। जिला स्तर पर विहित प्रक्रियानुसार ब्लीचिंग पावडर एवं चूना का दर अनुमोदन यदि नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में इसकी अधिप्राप्ति/आपूर्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अध्याय- IX की धारा 50- Emergency procurement and Accounting के अंतर्गत की जा सकती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अध्याय- IX की धारा 50 का अवतरण निम्नवत् है :-

50. Where by reason of any threatening disaster situation or disaster, the National Authority or the State Authority or the District Authority is satisfied that immediate procurement of provisions or materials or the immediate application of resources are necessary for rescue or relief,—

(*a*) it may authorise the concerned department or authority to make the emergency procurement and in such case, the standard procedure requiring inviting of tenders shall be deemed to be waived;

(*b*) a certificate about utilisation of provisions or materials by the controlling officer authorised by the National Authority, State Authority or District Authority, as the case may be, shall be deemed to be a valid document or voucher for the purpose of accounting of emergency, procurement of such provisions or materials.

3. जलजमाव के पश्चात जलस्तर में कमी होने के उपरांत पानी में डूबे मृत मवेशी, वनस्पति एवं अन्य अवयवों के सड़ने-गलने के कारण महामारी फैलने की संभावना होती है। ब्लीचिंग पावडर एवं चूना (लाइम) के मिश्रण का छिड़काव बाढ़ प्रभावित प्रत्येक प्रखंड के प्रत्येक पंचायत में बाढ़ प्रभावित जनसंख्या के शरणस्थल, स्वास्थ्य शिविर, राहत शिविर के आस-पास कराया जाय ताकि किसी भी संभावित महामारी को नियंत्रित किया जा सके। इसके अतिरिक्त बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अवस्थित सभी कुआँ एवं चापाकलों में तथा सामुहिक चापाकल के आस-पास एवं बस्ती में उचित मात्रा में ब्लीचिंग पावडर एवं चूना के मिश्रण का छिड़काव अनिवार्य रूप से किया जाय।

4. सभी सिविल सर्जन अपने क्षेत्रान्तर्गत बाढ़ प्रभावित प्रखंड़ों/पंचायतों के आधार पर ब्लीचिंग पावडर की खपत का आकलन करेंगे। ब्लीचिंग पावडर एवं चुना को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पंचायत में कार्यरत ए०एन०एम०/आशा फैसिलीटेटर/आशा/जीविका के सक्रिय सदस्य/विकास मित्र आदि का दल गठित कर हस्तगत कराया जाये एवं उनसे प्राप्ति रसीद प्राप्त किया जाय। उक्त छिड़काव कार्य में मुखिया, इस मुखिया चुनाव में हारे हुये निकटतम प्रत्याशी एवं सभी वार्ड सदस्यों को शामिल किया जाय। इसके अतिरिक्त स्थानीय ए०एन०एम०/आशा फैसिलीटेटर/आशा/जीविका के सक्रिय सदस्य/विकास मित्र आदि भी दल में शामिल रहेंगे। ए०एन०एम०/आशा फैसिलीटेटर इस दल की सदस्य सचिव होगें एवं उनके द्वारा एतद् संबंधी पंजी (लॉग-बुक) में तिथिवार सूचनाओं की प्रविष्टि सुनिश्चित कराया जायेगा। पंचायत के VHSNC fund का भी उपयोग इस कार्य में लिया जा सकता है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का दायित्व होगा कि कराये जा रहे छिड़काव के ब्योरा हेतु पंचायतवार पंजी (लॉग-बुक) का संधारण निम्नवत् किया जाये।

<u>पंजी का बॉया पृष्ठ</u>

क्रम संख्या	ब्लीचिंग पावडर की मात्रा	प्राप्ति तिथि	चूना की मात्रा	प्राप्ति तिथि	प्राप्तकर्त्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

<u>पंजी का दॉया पृष्ठ</u>

छिड़कावं स्थल (टोला/मुहल्ला) का नाम	छिड़काव की तिथि	उपयोग में लाये गये ब्लीचिंग पावडर की मात्रा	उपयोग में लाये गये चूना (लाइम) की मात्रा	जनप्रतिनिधि का नाम, पदनाम (मुखिया/वार्ड सदस्य/हारे हुये निकटतम प्रत्याशी आदि)	ए०एन०एम०/आशा/जीविका कार्यकर्त्ता/विकास मित्र का नाम एवं हस्ताक्षर	पंचायत, प्रखंड का नाम

5. उक्त प्रपत्र में पंचायत को उपलब्ध कराये गये ब्लीचिंग पावडर की मात्रा, उपलब्ध कराने की तिथि, छिडकाव स्थल का नाम एवं किस-किस तिथि को छिड़काव किया गया आदि से संबंधित सूचनाओं की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से किया जाये। इसके साथ ही छिड़काव के समय उपस्थित संबंधित पंचायत के जनप्रतिनिधियों यथा- मुखिया/वार्ड सदस्य एवं

हारे हुये निकटतम प्रत्याशी तथा ए०एन०एम०/आशा/जीविका कार्यकर्त्ता/विकास मित्र का हस्ताक्षर भी पंजी पर प्राप्त किया जाय। उक्त पंजी को सुरक्षित रखा जाय ताकि भविष्य में साक्ष्य रहे कि छिड़काव कहाँ हुआ था।

6. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कराये जा रहे छिड़काव कार्य का समुचित अनुश्रवण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापित चिकित्सकों को पंचायत आवंटन करेगें। पंचायत हेतु नामित चिकित्सक का दायित्व होगा कि वे क्षेत्र भ्रमण कर छिड़काव दल के कार्य का अनुश्रवण करें एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

7. यह संभव है कि कंडिका 4 में अंकित व्यवस्था में स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता पड़े। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त व्यवस्थाओं को छांत/शिथिल करने का अधिकार सिविल सर्जन को होगा।

विश्वासभाजन

(आर० के० महाजन)

ज्ञापांक 240 (HS) पटना, दिनांक 02.09.2016

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव 2/9/16
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक 240 (HS) पटना, दिनांक 02.09.2016

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

प्रधान सचिव 2/9/16
स्वास्थ्य विभाग

<u>बाढ से संबंधित आवश्यक औषधियों / युक्तियों की सांकेतिक सूची</u>

Sl. No.	Name of the Drug/Medical Devices/Consumables	EDL Status	BMSICL Rate Contract Status
1	A.D. Syringe	EDL	RC
2	Adhesive Tape	EDL	RC
3	Adrenaline Injection	EDL	RC
4	Albendazole Tablet	EDL	RC
5	Alcohol Swab	EDL	Non RC
6	Amikacin Injection	EDL	RC
7	Amoxycillin+ Clavulanic Acid Oral Liquid/Tablet	EDL	RC
8	Azithromycin Tablet/Syrup	EDL	RC
9	Bandage	EDL	RC
10	Betamethasone Dipropionate Cream	EDL	RC
11	Bleaching Powder	EDL	RC
12	Cefixime Tablet/Oral Liquid	EDL	RC
13	Ceftriaxone injection	EDL	RC
14	Chloramphenicol Ointment	EDL	RC
15	Chloroquine Tablet/Oral Liquid	EDL	RC
16	Chlorpheniramin Tablet	EDL	Non RC
17	Ciprofloxacin Tablet/Injection/Drops	EDL	RC
18	Compound Sodium Lactate (Ringer Lactate) Injection	EDL	RC
19	Cotton	EDL	RC
20	Dexamethasone Tablet/Injection	EDL	Non RC
21	Dextrose + Sodium Chloride Injection	EDL	RC
22	Diclofenac Sodium Tablet/Gel/Injection	EDL	RC
23	Dicyclomine Hydrochloride Tablet/Drop/Oral Liquid/Injection	EDL	RC
24	Domperidone Tablet/Drop/Oral Liquid	EDL	Non RC
25	Dried Aluminium hydroxide+Magnesium hydroxide+activated dimethicone (Antacid) Oral Liquid	EDL	RC
26	Hydrocortisone Sodium Injection/Cream/Gel/Oint	EDL	RC
27	Ibuprofen Tablet/Oral Liquid	EDL	RC
28	Isosorbide dinitrate	EDL	RC
29	IV Canula	EDL	RC
30	IV Set (Adult, Paediatric & Micro)	EDL	RC
31	Levocetirizine Dihydrochloride Oral Liquid/Tablet	EDL	RC
32	Levo-Salbutamol Tablet	EDL	RC
33	Levofloxacin Tablet	EDL	RC
34	Metoclopramide Injection	EDL	Non RC
35	Metronidazole Tablets/Injection/Suspension	EDL	RC

Sl. No.	Name of the Drug/Medical Devices/Consumables	EDL Status	BMSICL Rate Contract Status
36	Miconazole Nitrate Cream	EDL	RC
37	Moxifloxacin Eye Drop	EDL	RC
38	Mupirocin Ointment	EDL	Non RC
39	NaDCC Tablet	EDL	RC
40	Normal Saline Nasal Drop	EDL	Non RC
41	Ofloxacin Tablet	EDL	Non RC
42	Ondansetron Tablet/Injection	EDL	RC
43	Oral Rehydration Salts (ORS)	EDL	RC
44	Pantoprazole Tablet/Injection	EDL	RC
45	Paracetamol Tablet/Injection/Oral Liquid/Drop	EDL	RC
46	Permethrin Lotion/Cream	EDL	RC
47	Pheniramine Maleate Injection	EDL	RC
48	Povidone Iodine/solution/Ointment	EDL	RC
49	Rabeprazole Sodium Tablet/Injection	EDL	RC
50	Rabies immunoglobulin Injection	EDL	RC
51	Rabies Vaccine Human (ARV) Injection	EDL	RC
52	Snake Venom Antiserum (ASVS) Lyophilized Polyvalent	EDL	RC
53	Sodium Chloride (Normal Saline) Injection	EDL	RC
54	Sodium Chloride Infusion	EDL	RC
55	Sulphadoxine+Pyrimethamine Tablet	EDL	RC
56	Surgical Gloves	EDL	RC
57	Tetanus Vaccine (Adsorbed) Injection	EDL	RC
58	Tranexamic Acid Tablet/Injection	EDL	RC
59	Water for Injection	EDL	RC
60	Zinc Sulphate Tablet/Oral Solution	EDL	RC

(226)

सं०सं०–11/आ०प्र०(विविध)–01/2024–311(11)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

छिरिङ. वाई. भूटिया (भा०प्र०से०)
अपर सचिव,

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी सिविल सर्जन, बिहार

पटना, दिनांक– 04/05/2026

विषयः– **वर्ष–2026 के संभावित बाढ़ एवं उससे उत्पन्न जलजनित महामारी की रोकथाम के तैयारियों हेतु अनुदेश।**

प्रसंगः– **सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक–997/आ०प्र०, / दिनांक–09.04.2026**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, आप अवगत है कि राज्य में हर वर्ष मानसून अवधि के दौरान कई जिलों को बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ता है। राज्य में 29 बाढ़ प्रवण जिलों में से 15 जिले अति बाढ़ प्रवण जिलों की श्रेणी में आते है साथ ही कई अन्य जिले भी बाढ़ से प्रभावित होती है। इन अति बाढ़ प्रवण जिलों एवं बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ से जान–माल की क्षति के अलावे कई तरह की जल जनित बीमारियाँ भी फैलती हैं जो महामारी का रूप ले सकती है। इसकी रोकथाम के लिये आवश्यक है कि पूर्व से ही प्रभावकारी कदम उठाये जायें जिससे कि बीमारियों का फैलाव नहीं हो एवं यदि हो जाय तो उसका समुचित उपचार एवं नियंत्रण किया जा सके।

2. बाढ़ एवं उससे उत्पन्न जल जनित बीमारियों की समस्या से निपटने हेतु बाढ प्रवण जिलों के साथ–साथ गैर बाढ़ प्रवण जिलों में भी बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बाढ़ आपदा तैयारी के अपेक्षित बिन्दु निम्नांकित हैं–:

(क) सामान्यः–

1. जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक महामारी रोक–थाम समिति गठित है, जिसमें उप विकास आयुक्त/पुलिस अधीक्षक/ सिविल सर्जन/ खाद एवं उपभोगता सरक्षण विभाग/ जिला आपदा प्रबंधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पदाधिकारी सदस्य हैं।
2. यह समिति अपने जिले में बाढ़/जल–जमाव से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के सम्भावित क्षेत्रों का पूर्ण के अनुभव के आधार पर चिन्हित करेंगी एवं वहाँ पर त्वरित तरीके से उपचारात्मक एवं निरोधात्मक कार्रवाई करेगी तथा इसके लिए प्रचार–प्रसार के माध्यम का भी इस्तेमाल करेगी।

(ख) बाढ़ पूर्व तैयारियों का अभ्यास :–

बाढ़ तैयारी के संबंध में स्वास्थ्य कर्मियों/गैर सरकारी संगठनों के साथ Mock Exercise/ Mock drill का आयोजन नियमित अंतराल पर किया जाय।

Shweta 30/4/26

225

(ग) निरोधात्मक :–

शुद्ध पेयजल आपूर्ति:–

1. ऐसे सभी पेयजल श्रोतों की पहचान मॉनसून पूर्व (माह मई–जून) में कर ली जाय जिसे जनसाधरण व्यवहार में लाते हो। इस हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पदाधिकारी / कर्मी की सहायता प्राप्त की जा सकती हैं।

2. पेयजल श्रोत बाढ के पानी / जल–जमाव से प्रभावित होते हैं, अतः उस क्षेत्र के पीने के पानी का शुद्धिकरण, छोटे श्रोतों के लिए क्लोरीन टिकिया (हैलोजेन टिकिया) एवं बड़े श्रोतों के लिए ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से किया जाए।

3. विगत वर्षो के अनुभव से बाढ़ के पश्चात् जल–जमाव की स्थिति में मच्छरों के प्रकोप बढ़ने से डेंगू / मलेरिया / कालाजार इत्यादि महामारी का फैलाव बहुत तेजी से होती है। जिससे काफी संख्या में जनसमूह के अक्रान्त होने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में जिला मलेरिया पदाधिकारी का दायित्व होगा कि प्रभावित क्षेत्रों में डी0डी0टी0 का छिड़काव एवं फॉगिंग कार्य सुनिश्चित करायेंगे तथा संबंधित कर्मियों को प्रभावित क्षेत्रों में सतत् निगरानी हेतु तैनात रखेंगे।

4. जिला / प्रखंड के स्वच्छता निरीक्षक पेयजल की गुणवता बनाए रखने के लिए पानी के नमूनों का संग्रह करेंगें तथा उसकी जाँच सक्षम पदाधिकारी के माध्यम से प्रमण्डलीय प्रयोगशाला / चिकित्सा महाविद्यालय अथवा लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना में करायेंगे।

5. पेयजल संकट से निबटने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत **"पेय जलसंकट हेतु अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया"** में वर्णित निर्देशो का भी अनुपालन किया जा सकेगा। जो आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के वेवसाईट–www.disastermgmt.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

(घ) **चिकित्सा दलों का गठन :–**

1. जिला स्तर / प्रखंड स्तर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा दलों का (चलन्त / स्थायी / अस्थायी) गठन होगा जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी / स्वच्छता निरीक्षक / परिचारिका / पारा मेडिकल एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी रहेंगें जो सिविल सर्जन के द्वारा नामित किए जायेंगे तथा चिकित्सा दल को प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकता के आधार पर सिविल सर्जन द्वारा भेजें जायेंगे।

2. बाढ़ के पश्चात प्रभावित क्षेत्रों मे जल–जनित रोग से काफी जनसंख्या ग्रसित होती है जिसमें अतिसार से ग्रसित व्यक्तियों के समय पर उपचार न होने से मृत्यु भी हो जाती हैं। प्रचार–प्रसार के माध्यम से जनसाधारण को यह अवगत कराया जाय कि वे प्रभावित क्षेत्रों की सूचना, चौकीदार / पंचायत के सदस्य / स्वास्थ्यकर्मी / सिविल सर्जन / स्थानीय थाना / पुलिस अधीक्षक / जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। सिविल सर्जन तथा उस क्षेत्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि चिकित्सा दल तुरंत प्रभावित स्थल पर भेजेंगे एवं महामारी नियंत्रण करेंगे।

(च) **दवाओं की उपलब्धता :–**

1224

1. विगत वर्षो के अनुभव के आधार पर बाढ़/महामारी से निपटने हेतु जिला से प्रखंड स्तर तक दवाओं की उपलब्धता का आकलन कर तैयारी सुनिश्चित कर ली जाय।

2. बाढ प्रभावित क्षेत्रों में जल जनित बीमारियों यथा डायरिया आदि की रोकथाम हेतु ओ0 आर0 एस0 एवं एन्टीडायरियल संबंधित आवश्यक दवाओं की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर लें इन दवाओं के अतिरिक्त ब्लीचिंग पाउडर, हैलोजन टेबलेट, ए0एस0भी0एस0 (ASVS) एवं ए0आर0भी0 (ARV) काभंडारण सुनिश्चितकर लेंगे। ये सभी Essential Drugs में शामिल है। इन सभी दवाओं के लिए ससमय अधियाचना BMSICL, जो दवा क्रय हेतु नोडल एजेंसी है, को भेज दी जाए और जिन दवाओं की आपूर्ति BMSICL द्वारा नहीं की जा सकती हो, उन्हें स्थानीय स्तर पर नियमानुसार क्रय कर भंडारित करना सुनिश्चित करें। बाढ़ के पूर्व आवश्यक दवाओं की मात्राओं का आकलन करते हुए दवाओं का क्रय दवा ईकाई मद/NHM की निधि में उपलब्ध आवंटन से करेंगे। प्राप्त दवाओं को यथा शीघ्र सभी अस्पतालों सहित सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

3. बाढ़ के समय /बाढ़ के पश्चात् कुत्ता एवं सियार काटने की घटनायें होती रहती है। यह अनुभव रहा है कि स्थानीय स्तर पर कुत्ता/सियार काटने की उपचारात्मक दवा उपलब्ध नहीं रहने/ कमी के कारण कठिनाई होती है। अतः एन्टीरेबीज दवा भी नियमानुसार, आवश्यकता का आकलन कर भंडारण कर ली जाय।

(छ) <u>उपचारात्मकः—</u>

1. सर्पदंश से आक्रान्तों की मृत्यु समय से उपचार न होने पर हो सकती है। जल—जमाव/बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में जमीन के छिद्र में पानी प्रवेश कर जाने से साँप बाहर आ जाते है जिससे सर्पदंश की घटनाएँ बढ़ जाती है, इसलिए सुनिश्चित कर लें कि सभी अस्पतालों में ए0एस0भी0एस0 की दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। लेकिन सभी सर्पदंश घातक नहीं होते हैं, अतः चिकित्सा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि सर्पदंश की दवाईयों का उपयोग वे आवश्यकतानुसार करेंगे।

2. नवजात शिशुओं के लिए नियमित टीकाकारण भी बाधित नहीं हो, इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे एवं गर्भवती महिलाओं की पहचान पूर्व से ही कर ली जाय एवं इसके लिए डिलिवरी कीट एवं अन्य व्यवस्थाएं पूर्व में ही कर लेंगे।

3. पूर्व के अनुभव के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं यथा कुपोषण केन्द्र, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता, सेनेटरी किट इत्यादि के सम्बन्ध मे भी विशेष रूप से योजना बना लिया जाय।

(ज) **<u>अस्थाई अस्पताल एवं नौका औषधालय की व्यवस्थाः—</u>**

1. जिन क्षेत्रों में महामारी फैल गई है और प्रभावितों की संख्या ज्यादा है, वहा पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य उप केन्द्र, स्कूल, पंचायत भवन आदि में अस्थायी अस्पताल खोला जायेगा। वहाँ पर यह अस्थायी अस्पताल तबतक चलते रहेंगे जबतक महामारी पर नियंत्रण नहीं हो जाता है, और वहाँ पर सभी कर्मचारी अस्थायी रूप से कार्यरत रहेंगे।

Shweta
30/4/26

1223

2. उन क्षेत्रों में जहाँ पर गाँव/करबा, जल जमाव या बाढ़ से घिर जाते हैं, सड़क सम्पर्क टूट जाता है, उन प्रभावित क्षेत्रों में जनसाधारण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नोका पर औषधालय खोला जायेगा और यह प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण करेंगा। नौका पर औषधालय जिसमें चिकित्सा पदाधिकारी, ए0एन0एम0 और पारा मेडिकल कर्मी प्रतिनियुक्त होंगे तथा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवा एवं सामग्री की व्यवस्था रहेगी, जिसे सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त किया जायेगा। दवा और सामग्री की कमी होने पर एक दिन पहले नौका आषधालय के चिकित्सा पदाधिकारी दवा और सामग्री की आअपूर्ति के लिए नजदीकी अस्पताल से अनुरोध कर प्रापत कर लेंगे। संबंधित जिला पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि नौका पर औषधालय हेतु नाव एवं नाविक उपलब्ध करायेंगे।

(झ) **प्रशासनिक व्यवस्थाः–**

1. जिलाधिकारी को विभिन्न श्रोतों से महामारी के संबंध में सूचना प्राप्त होती है, उन सूचनाओं पर सिविल सर्जन का यह दायित्व होगा कि गठित चिकित्सा दल को उस स्थान पर आवश्यक उपचार हेतु भेजेंगे।
2. महामारी की रोकथाम तथा बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के उपचार आदि के लिए जिलाधिकारी/सिविल सर्जन किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी को अप्रभावित जगहों से हटा कर प्रभावित जगहों पर महामारी की रोक–थाम हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे। ऐसे प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी तबतक प्रतिनियुक्त स्थान पर बने रहेंगे। जबतक कि महामारी पर नियंत्रण नहीं कर लिया जाता है।
3. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थापित एवं कार्यरत किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी/ कर्मचारी को बाढ़ के समय अवकाश देय नहीं होगा, यदि कोई चिकित्सा पदाधिकारी/ कर्मचारी को अवकाश पर जाना आवश्यक है तो वह अवकाश की स्वीकृति सिविल सर्जन के अनुशंसा पर जिला पदाधिकारी से प्राप्त करेंगे। बाढ़ के समय में कोई चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी अपने क्षेत्र से अनुपस्थित रहेंगे तो यह गम्भीर कदाचार माना जाएगा एवं उन पर इसके लिए अनुशासनिक कार्यवाही की जायगी।
4. जिला पदाधिकारी/सिविल सर्जन को यह अधिकार दिया जाता है कि महामारी की रोक–थाम एवं नियंत्रण करने में यदि अतिरिक्त चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य कर्मी की आवश्यकता हो, तो वे चिकित्सा महाविद्यालयों से कनीय चिकित्सक/स्नातकोत्तर के चिकित्सक तथा पारा मेडिकल एवं स्वास्थ्य कर्मी की सेवाएँ अधीक्षक/प्राचार्य से प्राप्त कर सकते हैं और वे महामारी खत्म होने तक सिविल सर्जन के अधीन प्रतिनियुक्त माने जायेंगे।
5. चिकित्सा संस्थान/सभी चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल में चलन्त पैथोलॉजिकल दल गठित की जायगी जो निकटवर्ती जिलों में बाढ़ के समय महामारी उद्धभेदन के स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करेगी। विशेष परिस्थिति में राजेन्द्र स्मारक चिकित्सा अनुसंधान विज्ञान संस्थान, (RMRIMS) अगमकुआँ, पटना से भी संबंधित पदाधिकारी सम्पर्क बनाये रखेंगे।
6. पूर्व के अनुभव के आधार पर दवाओं एवं उपकरणों को सुरक्षित रखने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करेंगे, जिससे क्षति से बचा जा सके।

(ट) **अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षणः–**

1. क्षेत्रीय अपर निदेशक/सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महामारी के समय में प्रभावित क्षेत्रों का सघन भ्रमण एवं स्वास्थ्य संबंधी किए जा रहे कार्यो का निरीक्षण एवं समीक्षा करते रहेंगे और इसके नियंत्रण हेतु प्रमण्डलीय आयुक्त/ जिलाधिकारी से सहयोग प्राप्त करेंगे।

2. प्रत्येक जिला में बाढ़ की अवधि तक जिलाधिकारी के अधीनस्थ एक बाढ़ नियंत्रण अनुश्रवण कोषांग का गठन होना है। उसी प्रकार सिविल सर्जन के अधीन भी बाढ़ की अवधि तक अनुश्रवण कोषांग का गठन होगा, जिसमें प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी पाली के अनुसार कार्यरत रहेंगे।

3. महामारी/बीमारी से प्रभावितों की संख्या/ कुल मृतकों की संख्या एवं दवाओं/उपकरणों की उपलब्धता आदि की सूचना विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त कर प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/स्वास्थ्य निदेशालय/राज्य स्वास्थ्य समिति को दूरभाष/ ई–मेल फैक्स से संसूचित किया जाएगा। जल जमाव/बाढ़ के समय होने वाले बीमारियों के बारे में इस निर्देशिका के साथ संलग्न प्रपत्र फार्म–'ए', फार्म–'बी' एवं–फार्म 'सी' में वर्णित विवरणी के अनुसार संकलन कर प्रतिवेदन अनुश्रवण कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे साथ ही दैनिक अद्यतन स्थिति की सूचना उपरोक्त को ई–मेल *ssosbihar@gmail.com* पर भेजना सूनिश्चित करेंगे।

4. बाढ़ के समय स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अस्पताल भवन/उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाते है। इस संदर्भ में संबंधित सिविल सर्जन की यह जिम्मेवारी होगी कि वे इसकी समीक्षोपरांत आकलन करायेंगें भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण कितनी क्षति हुई एवं उसके जीर्णोद्धार के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है। साथ ही सिविल सर्जन संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल से प्राक्कलन बनवाकर विभाग को भेजें। सुलभ प्रसंग हेतु आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत **"बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया"** में वर्णित निर्देशो का भी अनुपालन किया जाएगा। यह आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के बेवसाईट www.disastermgmt.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

(ठ) **राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार स्तर पर :–**

1. किसी भी तरह की सूचना या मार्गदर्शन हेतु स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, शेखपुरा, पटना में स्थापित राज्य नियंत्रण कक्ष के **टौल फ्री दूरभाष संख्या–'104'** से सम्पर्क स्थापित किया जाय तथा ई–मेल आई0डी0 **ssobihar@gmail.com** पर सूचना भेजी जा सकती है।

2. राज्य IDSP पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार /राज्य के जिलों से महामारी के समय में प्रभावितों/मृतकों की संख्या/दवा एवं सामग्री की अद्यतन स्थिति प्राप्त करेंगे एवं जिलों से सतत् सम्पर्क एवं समन्वय बनाए रखेंगे साथ ही विभाग स्तर पर अवस्थित आपदा प्रबंधन कोषांग को अद्यतन स्थिति से अवगत करायेंगें। इस कोषांग का दायित्व होगा कि

(221)

प्राप्त प्रतिवेदन से अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं अपर मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार को प्रतिवेदन सर्मपित करेंगें।

3. निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण) स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार वे सभी निर्णय लेंगे, जो बाढ से उत्पन्न महामारी के रोक–थाम के लिए आवश्यक प्रतीत हो ।

विश्वासभाजन

Bhutia 26/4/26

(छिरिङ.वाई. भूटिया)

विशेष सचिव